न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 317/2025 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/252

दायर दिनांक :– 07.10.2025 निर्णय दिनांक :– 11.11.2025

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. जसोदा वगैरा.		1. जगदीश वगैरा.

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सिविल प्रकिया संहिता, 1908

उपस्थित :–

1. श्री ओमप्रकाश गोदारा अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सिविल प्रकिया संहिता, 1908 का इस आशय से पेश किया कि न्यायालय हाजा में एक वाद बअनवान जसोदा वगैरा बनाम जगदीश वगैरा दावा संख्या 98/2024 पेश कर ग्राम बाप के खसरा नम्बर 680 रकबा 3.0351 हैक्टेयर भूमि में वादीगण तथा प्रतिवादीगणों के मध्य राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में वर्णित हिस्से अनुसार बंटवाड़ा किया जावे। न्यायालय हाजा द्वारा प्रतिवादीगणों को नोटिस जारी किये जाने के बाद प्रतिवादीगणों की और से अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि वादीगण तथा प्रतिवादीगणों का वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बंटवाड़ा किया जावें। जिस पर न्यायालय हाजा द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने का आदेश पारित किया गया उस आदेश की पालना में तहसीलदार द्वारा बंटवाड़ा प्रस्ताव पेश किया गया। न्यायालय हाजा में बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के बाद बहस अंतिम सुनी जाकर पत्रावली में निर्णय दिनांक 28.07.2025 को अंतिम डिक्री जारी करते हुवे तहसीलदार बाप को वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य बंटवाड़ा किये जाने का आदेश पारित किया। जिस आदेश में वादीगण का हिस्सा भूलवश रकबा 0.6070 हैक्टेयर का टकंन कर दिया जबकि वादीगण का जमाबंदी में वर्णित वास्तविक हिस्सा 0.3035 हैक्टेयर ही बनता है। आदेश एवं निर्णय में संशोधन करने से किसी भी पक्षकार का हिस्सा प्रभावित नहीं होता है। वादीगण का भूलवश टंकित हिस्सा रकबा 0.6070 हैक्टेयर होने से कुल रकबा का हिस्सा बढ जाता है जबकि जमाबंदी में वादीगण का हिस्सा रकबा 0.3035 हैक्टेयर ही आता है जो कि निर्णय को प्रथम दृष्ट्या देखने से ही दुष्टीगोचर होता है इसलिये निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.07.2025 में शुद्वि किया जाकर वादीगणों का हिस्सा 0.3035 हैक्टेयर किया जाकर निर्णय में हुई त्रुटि को सुधार किये जाने बाबत वर्तमान प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सिगेदार की रिपोर्ट लेकर दर्ज रजिस्टर किया गया। मूल राजस्व वाद तलब किया जाकर नत्थी किया गया।

प्रार्थना पत्र 152 सिविल प्रकिया संहिता, 1908 पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। मूल राजस्व वाद का अवलोकन किया गया। न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 98/2024 अनवान जसोदा बनाम जगदीश वगैरा में उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर वादीगण एवं

Satya

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

प्रतिवादीगण के वर्तमान जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार विभाजन प्रस्ताव राजस्व काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुवे तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु निर्णय/प्राथमिक डिकी दिनांक 21.05.2025 को किया गया था। उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार बाप ने वादीगण एवं प्रतिवादीगण के खाते अलग–अलग कायम कर कुराजात रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की गयी। उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अधिवक्ता वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा कुराजात रिपोर्ट का अवलोकन करने के पश्चात अंतिम बहस सुनी गयी। अधिवक्ता वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने अंतिम बहस में कथन किया कि **"उनके द्वारा उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन कर लिया गया है तथा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव विधि सम्मत एवं माफिक इस्तदुआ होने से स्वीकार किया जावे साथ में यह थी कथन किया कि उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव के संबंध में कोई उजर एतराज नहीं है। प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिम डिकी जारी किये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया।"** अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनने के पश्चात तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर अंतिम डिकी किया गया। तहसीलदार बाप द्वारा कुराजात रिपोर्ट में दर्शाये हिस्से अनुसार ही वादीगण एवं प्रतिवादीगण के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग–अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लट्ठा में तरमीम किये जाने का आदेश पारित किया गया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत कर न्यायालय हाजा के निर्णय/डिकी दिनांक में 28.07.2025 में हिस्सा दुरुस्त किये जाने का निवेदन किया है परन्तु धारा 152 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में स्पष्ट प्रावधान है कि **"लिपिकिय या गणितीय भूल जो (लेखन संबंधी) व आकस्मिक भूल या आकस्मिक लोप के कारण हुई गलती को भी"** निर्णय या डिकी या आदेश में संशोधन करने की न्यायालय की शक्ति है। वादीगण के वाद में न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार की कोई लिपिकीय या गणितीय भूल, आकस्तिमक भूल या अकस्मिक लोप के कारण हुई त्रुटि होना प्रतीत नहीं होता है। तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव अनुसार ही निर्णय/अंतिम डिकी जारी की गई है। विभाजन प्रस्ताव व निर्णय/अंतिम डिकी में किसी प्रकार की भिन्नता नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 पोषणीय नहीं होने से स्वीकार किया जाना उचित नहीं समझते है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Satya...

(सत्य नारायण–I आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर बाप (फलोदी)